राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, हिन्दुस्तान, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 24.05.2025

वीडीए सचिव की मौजूदगी में आठ अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान आठ अवैध निर्माण सील कराए।

मुगलसराय मढ़िया के रतनदीप सिंह का निर्माण सील किया गया। गिधौली, दामोदर दास पोखरे के पास संतोष गुप्ता, चन्धासी में अनिल अग्रवाल, सतपोखरी में महेन्द्र शर्मा, बेचूपुर सुभाष पार्क के सामने सुरेंद्र कौर के अवैध निर्माण को सील किया। मढ़िया में नरेश यादव, टेंगरा मोड़ कमला नर्सिंग हास्पिटल में अवैध निर्माण सील किया गया। एसके साथ एक और निर्माण पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश मौजूद रहे। ब्यूरो

दो अवैध निर्माण पर कार्रवाई

वीडीए की ओर से शुक्रवार को चौक में अवैध निर्माण सील कराया गया। ठठेरी बाजार में आदित्य सर्राफा की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस पर वीडीए की ओर से पूर्व में नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद काम जारी रखने पर वीडीए ने अवैध निर्माण सील किया। दशाश्वमेध के रामापुरा के मूर सलील के अवैध निर्माण को नोटिस देते हुए सील किया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापती और अवर अभियंता राजू कुमार की देखरेख में कार्रवाई की। उधर, वीडीए ने सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण सील किया गया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 24.05.2025

वीडीए सचिव ने सील कराया अवैध निर्माण, मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से नाराज वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा शुक्रवार को चंदौली जिले के मुगलसराय वार्ड में खुद निकल पड़े। लबे रोड कई अवैध निर्माण देख वीडीए सचिव का पारा गर्म हो गया है।

जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी अपनी पोल खुलती देख इधर-उधर की बहानेबाजी करने लगे। मौके पर जवाब-तलब करते हुए सचिव ने मुगलसराय वार्ड में आठ अवैध निर्माण सील करवाने के साथ भवन स्वामियों को दोबारा काम नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं, क्षेत्रीय कर्मचारियों को नजर रखने का निर्देश दिया।

सचिव ने बताया कि मुगलसराय वार्ड में अवैध निर्माण की लगातार शिकायत मिल रही थी। अवैध निर्माण मिलने पर पिछले माह कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।

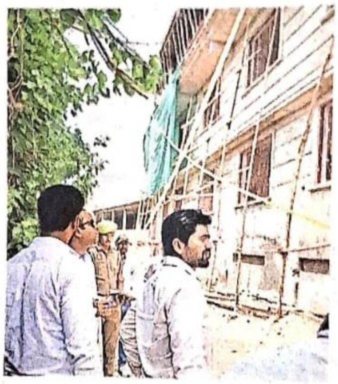

मुगलसराय में मौके पर अवैध निर्माण सील कराते वीडीए सचिव डा.वीपी मिश्रा। साथ में अन्य कर्मचारी।

कम राजस्व पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश व अवर अभियंता अशोक कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को जोन पांच की टीम के साथ मुगलसराय वार्ड में निकला तो मढ़िया में रतनदीप सिंह, गिधौली स्थित दामोदर दास पोखरे के पास संतोष गुप्ता, चंदासी में अनिल अग्रवाल, सतपोखरी में महेन्द्र शर्मा, बेचूपुर स्थित सुभाष पार्क के सामने सुरेंद्र कौर, मढ़िया में नरेश यादव, टेंगरा मोड़ पर रामाश्रय सिंह अवैध निर्माण कर रहे थे। दोबारा निर्माण मिलने पर जोनल अधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है।

दैनिक जागरण–दि0 24.05.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

जासं, वाराणसी : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि पुलिस लाइन के पास संदीप कुमार 220 वर्ग मीटर में आनलाइन मानचित्र स्वीकृत कराकर दो मंजिल निर्माण कर रहे थे। मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर भवन को सील कर दिया गया। जोन तीन के जोनल अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि चौक वार्ड के ठठेरी बाजार में आदित्य सर्राफा वीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चार मंजिल में अवैध निर्माण कर रहे थे।

हिन्दुस्तान–दि0 24.05.2025

“ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस साल 10 हजार पौधों को रोपने, वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अपने पार्कों में अभियान चलाकर पौधरोपण किया जाएगा।

– पुलकित गर्ग, वीडीए उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 24.05.2025

जोन-03 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-03 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-चौक, ठठेरी बाजार के अन्तर्गत आदित्य सर्राफा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 12.60 मी0ˣ 16.50 मी0 के माप में जी+3 तल का अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसके विरुद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवही की गयी थी परन्तु पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने पर आज दिनांक 23/05/2025 को उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (क) के अंतर्गत स्थल को सील किया गया।वार्ड-दशाश्वमेध , रामापुरा के अन्तर्गत मूर सलीम द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1400 वर्ग फिट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 23/05/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए स्थल को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापती एवं अवर अभियंता राजू कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज—दि0 24.05.2025

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने औचक निरीक्षण के दौरान आठ अवैध निर्माण कराया सील

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के शुक्रवार को औचक निरीक्षण के दौरान जोन 5 में कुल 8 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-मुगलसराय, मौजा मढ़िया के अन्तर्गत रतनदीप सिंह पुत्र सुभाष सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सील किया गया। संतोष गुप्ता द्वारा मौजा गिधौली, दामोदर दास पोखरे के पास, अंकुर पोल्ट्रीफार्म के बगल में थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली, में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्र ने अनिल अग्रवाल द्वारा मौजा चन्धासी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील करवाया।महेन्द्र शर्मा द्वारा मौजा सतपोखरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया। सुरेन्द्र कौर द्वारा मौजा बेचूपुर, सुभाष पार्क के सामने थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया। सुरेन्द्र कौर द्वारा मौजा बेचूपुर, गुरूद्वारा के दक्षिण तरफ, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।नरेश यादव द्वारा मौजा मढ़िया, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय में 1800 वर्गफीट में जी+1 तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।

रामाश्रय सिंह द्वारा मौजा टेंगरा मोड़, कमला नर्सिंग हास्पिटल, थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने अपने औचक निरीक्षक के दौरान अवैध निर्माण पाए जाने पर उन्हें सील करवाते हुए

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.05.2025

जोन-01 वार्ड-सिकरौल में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 वार्ड-सिकरौल में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल, पुलिस लाइन, पाण्डेयपुर ए0सी0पी0 कार्यालय के पास, पाण्डेयपुर-लालपुर के अन्तर्गत संदीप कुमार पुत्र राजेश कुमार द्वारा ऑनलाईन जी+1 तलों का लगभग 220.00 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर फ्रन्ट सेटबैक, रियर सेटबैक एवं साईट सेटबैक को कवर करते हुए निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 23.05.2025 को स्थल सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।